न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 03/2017/अपील

रामनिवास पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी नृसिंहवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. चिंरजीलाल पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद
2. रेवती देवी पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद
3. पतासी देवी पत्नी छोटूराम
4. फूली देवी पत्नी श्री मोहर सिंह
5. एकता पत्नी जितेन्द्र

समस्त जाति गुर्जर निवासी नृसिंहवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 09.01.1968 जिसके द्वारा भूमि आंवटित की गयी।

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार पटेल
वकील रेस्पोडेंट श्री विजय सिंह तंवर

निर्णय

दिनांकः–07.05.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 538 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ रकबा 461.4 बीघा वाकै ग्राम डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में से खसरा नम्बर 538/1/2 रकबा 2.28 हैक्टेयर आंवटित किया गया, उक्त आवंटन का अंकन आवंटित पत्रावली में नक्शे में दर्शित किया गया। उक्त आंवटित भूमि खसरा नम्बर 538/1/2 के वर्तमान खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1377 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1378 रकबा 1.96 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 2.2800 है0 है। उक्त आंवटित व्यक्ति प्रहलाद राय का देहान्त हो चुका है। उक्त प्रहलाद के वारिशान को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के रूप में तथा उक्त भूमि का बेचान हो जाने के कारण उक्त केतागण को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त भूमि का आंवटन विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध रूप से प्रहलाद राम पुत्र श्री मामराज गुर्जर निवासी नृसिहवाला तन डोकन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर को एक सशस्त्र सेना का सैनिक व भूमिहीन बताकर किया गया। उक्त भूमि का आवंटन कराने वाला व्यक्ति कभी भी सेना में नहीं था और ना ही भूमि हीन था। उक्त भूमि आंवटित व्यक्ति प्रहलादराम ने कपट व दुर्व्यपदेशन कर कथन किया था कि वह एक सहस्त्र सेना का व्यक्ति अर्थात सैनिक है, उक्त व्यक्ति ने फर्जी सेना के पत्र पेश किये, जबकि उक्त व्यक्ति कभी भी सेना में नही रहा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समय परिवार के सदस्य 8 नहीं थे। भूमि आवंटन वक्त व भूमि आवंटित निर्णय में भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। कानूनन गैर मुमकिन पहाड़ आवंटित नहीं किया जा सकता। भूमि आवंटित निर्णय दिनांक 09.01.1968 के द्वारा उक्त भूमि 10 वर्ष के लिये आवंटित की गयी थी, परन्तु उक्त निर्णय के द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 225 सन् 1971 में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर खातेदारी अधिकार दे दिये गये, जबकि तस्दीक कर खातेदारी अधिकार का नामान्तकरण कानूनन नहीं भरा जा सकता, क्योंकि उक्त आवंटन 10 वर्ष की लीज पर किया गया था। उक्त निर्णय के द्वारा 10 वर्ष की लीज पर मात्र गैर खातेदारी अधिकार ही दिये जा सकते थे।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया एवं विवादित आराजी की किस्म गै.मु.पहाड़ होने से प्रार्थी के नाम से गलत आवंटन होना अवगत कराया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 14.03.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर आवंटी भूमिधारी प्रहलादराम के सेना में नहीं होने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभयपक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये गये है। प्रार्थी प्रहलादराम द्वारा भूमि खसरा नम्बर 538 अलोट करने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा परामर्श दात्री समिति के समक्ष प्रस्ताव लिया जाकर दिनांक 09.01.1968 को प्रार्थी प्रहलादराम पुत्र मामराज गुर्जर निवासी डोकन के नाम से भूमिहीन होने होने के आधार पर 10 वर्ष के लिये गैर खातेदारी अधिकारो पर अलोट कर दिया गया एवं दिनांक 16.06.1968 को प्रार्थी को कब्जा सम्भला दिया गया। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 538 के सम्बंध में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा किस्म परिवर्तन हेतु उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दिनांक 16.05.1968 को आवेदन प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 18.05.1968 के द्वारा भूमि की किस्म गै.मु.पहाड़ से बारानी सोयम दर्ज कर दी गई। भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 4 में उन भूमियों का विवरण है, जो आवंटन हेतु उपलब्ध नही है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2016 के द्वारा विवादित आराजी की नपती की गई बाद नपती के निशानदेही करवाई गई। अधिवक्ता वादी के द्वारा एक पत्र पेश किया गया जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नीमकाथाना द्वारा रामनिवास गुर्जर पुत्र भगवानाराम निवासी नृसिंहवाला को प्रेषित कर अंकित किया गया है कि “आप द्वारा स्व. प्रहलाद पुत्र मामराज निवासी नृसिंहवाला तन डोकन के सम्बंध में उसकी सेवा निवृति तिथी रेजिमेन्ट पी.पी.ओ.न. आदि की जानकारी चाही गयी है, के सम्बंध में लेख है कि उक्त स्व. प्रहलाद के आर्मी नम्बर उपलब्ध करवाये जावे। इन नम्बरों 7081–604 का दस्तावेज हमारे पास कुछ नही है, 10 अगस्त 1967 के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, आर्मी नम्बर गलत है, W/U 218 व 4 होरस C/O 56 APO में नही थी।”

उपरोक्त विवेचन एवं आवंटन पत्र के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रहलादराम को आवंटित शुदा भूमि भूमिहीन होने के आधार पर आवंटित की गई है। भूमि की किस्म उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 18.05.1968 के द्वारा गै.मु. पहाड़ से किस्म परिवर्तन कर बारानी सोयम दर्ज की गई है। पटवारी एवं सरपंच रिपोर्ट के [illegible] को संभलाना अंकित किया गया है।

कार्यवाही विवरण इत्यादि किसी दस्तावेज से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि आवंटी को पूर्व सैनिक होने की प्राथमिकता दी गई या नहीं दी गई। भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 7 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के भूमिहीनों को उनकी श्रेणी के प्राथमिकता कम अनुसार भूमि आवंटन किया जाता है, परन्तु आवंटी के सम्बंध में तथ्यों की पुष्टि/सत्यापन के अभाव में यह पुष्टि करना असंभव है कि आवंटी को पूर्व सैनिक के रूप में कोई प्राथमिकता दी गई है। इसलिये आवंटन के 50 वर्ष बाद मात्र कथन के आधार पर आवंटन को विधि अनुरूप शून्य मानना कठिन है। आवंटी को भूमि आवंटन के उपरांत कब्जा सुपूर्द करना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से साबित होता है, साथ ही पटवारी हल्का डोकन की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2016 में आवंटी के पुत्र चिरंजीलाल का कब्जा होना अंकित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने आवंटी प्रहलाद द्वारा उक्त भूमि आवंटन करवाने हेतु उसके परिवार में 8 सदस्य होना बताया गया है जबकि उसके परिवार में आवंटन के समय परिवार के सदस्य 8 नहीं थे। आवंटी के परिवार के सदस्य के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है, बल्कि इस सम्बंध में पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि आवंटी ने परिवार के सदस्यों की गलत जानकारी देकर स्वयं को भूमिहीन होना बताया है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजात के आधार पर अपील के कथनों की पूर्ण पुष्टि के अभाव में 50 वर्ष पूर्व किये गये भूमि आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से आवंटन आदेश दिनांक 09.01.1968 में हस्तक्षेप/दखलंदाजी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official